कार्यालय प्रधानाचार्य,एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल मल्लाना जिला–अलवर

क्रमांकः– ए.मॉ.रे.स्कूल / मल्लाना / 2022–23 / 1380 14.6.22 दिनांक 14.06.2022

सम्पादक

दैनिक भास्कर अलवर।

विज्ञप्ति

श्रीमान आयुक्त महोदय जन जाति क्षेत्रिय विकास विभाग उदयपुर के आदेश क्रमांक एफ3(ए)()शिक्षा / सीटीएडी / 2022–23 / 17753–66 दिनांक 07.06.2022की अनुपालना में इस कार्यालय के अधीन संचालित एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा विद्या सम्बलन योजना के अन्तर्गत गेस्ट फेकल्टी के रूप में निजी अभ्यर्थी / सेवा निवृत विषयध्यापको एवं प्रयोगशाला सहायक के पदो को भरने हेतु दिनांक 25.06.2022 तक विद्यालय समय में आवेदन आमंत्रित किये जाते है। पात्र अभ्यर्थी मूल आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप / डाक द्वारा ईएमआरएस मल्लाना में जमा करावें।आवेदन हेतु निम्नांकित रिक्त पदों की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले निजी अभ्यर्थी / सेवानिवृत विषयाध्यापक एवं प्रयोगशाला सहायक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते है।

चयन प्रकिया में चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

क्र.सं.	रिक्त पद का नाम	अधिकतम देय राशि	प्रति घण्टा	निर्धारित योग्यता
1	वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान–1	25000	350	बी एस सी बीएड
2	व्याख्याता जीव विज्ञान–1	30000	400	एम एस सी बीएड
3	व्याख्याता रसायन विज्ञान–1	30000	400	एम एस सी बीएड
4	प्रयोगशाला सहायक–2	21000	300	12वी विज्ञान संकाय

अधिक जानकारी के लिए विद्यालय वेब साईट www.emrsmallana.com के होम पेज पर देखें।

प्रधानाचार्य
राज.एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शिल स्कूल
मल्लाना (अलवर)

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर (राज.)

letter 2022 (N)

क्रमांक– एफ 3(ए)( )शिक्षा / सीटीएडी / 2022–23 / 17753-66 दिनांक : 07-06-22

उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर / डूंगरपुर / बांसवाडा /
प्रतापगढ़ / आबुरोड़ (सिरोही)।

प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक
राजकीय जनजाति आवासीय विद्यालय
झालावाड़ / दौसा,
ईएमआरएस मल्लाणा / पाटन / बरनाला /
रानोली / निवाई / बिहारीपुरा।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं परियोजना अधिकारी,
सहरिया विकास परियोजना,
शाहबाद (बारां)।

विषय :– राज्य सरकार की विद्या संबल योजना के अनुसार रिक्त पदों के विरुद्ध पात्र अभ्यार्थियों की वरियता सूची तैयार कर भेजने बाबत।

प्रसंग :– विभागीय आदेश 12407–410 दिनांक 06.04.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश के तहत राज्य सरकार की विद्या संबल योजना के दिशा निर्देशो के अनुसार **शैक्षणिक सत्र 2022–23** में विभागीय आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक व प्रयोगशाला सहायक के रिक्त पदो पर कार्मिक लगाये जाने हेतु निर्धारित योग्यताधारी अभ्यार्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित कर अभ्यार्थियों की चयनित सूची अविलम्ब इस कार्यालय को स्वीकृति हेतु प्रेषित करावें ताकि आगामी शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ से ही आपके अधीन संचालित विभागीय आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य सुचारु रुप से संचालन हो सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(गोविन्द सिंह राणावत)
अति. आयुक्त (द्वितीय)

Scanned with CamScanner

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर (राज.)

letter 2022 (N)

क्रमांक– एफ 3(ए)( )शिक्षा / सीटीएडी / 2022–23 / 17767 दिनांक : 07-06-22

अति. आयुक्त (चतुर्थ)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
जोधपुर।

विषय :– राज्य सरकार की विद्या संबल योजना के अनुसार रिक्त पदों के विरुद्ध पात्र अभ्यार्थियों की वरियता सूची तैयार कर भेजने बाबत।
प्रसंग :– विभागीय आदेश 12407–410 दिनांक 06.04.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश के तहत जोधपुर मुख्यालय पर नव संचालित आवासीय विद्यालय में स्वीकृत विभिन्न शैक्षणिक पदों पर नियमित शिक्षा विभागीय कार्मिको की नियुक्ति तक राज्य सरकार की विद्या संबल योजना के दिशा निर्देशो के अनुसार **शैक्षणिक सत्र 2022–23** में कार्मिक लगाये जाने हेतु निर्धारित योग्यताधारी अभ्यार्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित कर अभ्यार्थियों की चयनित सूची अविलम्ब इस कार्यालय को स्वीकृति हेतु प्रेषित करावें ताकि आगामी शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ से ही उक्त विद्यालय का शिक्षण कार्य सुचारु रुप से संचालन हो सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(गोविन्द सिंह राणावत)
अति. आयुक्त (द्वितीय)

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल EPABX : 2428721–24 फेक्स : 0294–2411417

Scanned with CamScanner

क्रमांक : प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021 जयपुर, दिनांक : 30-03-2021

परिपत्र

विषय : **विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों–विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये "विद्या संबल योजना" के संबंध में दिशा–निर्देश एवं प्रक्रिया।**

विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों/प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए **"विद्या संबल योजना"** लागू की जा रही है, जिसके क्रम में निम्नांकित सामान्य निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आंकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधित अत्यावश्क अस्थाई आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी पृथक् से आरंभ कर सकेगा।

   इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे।

2. गैस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गैस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आंकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर, यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।

3. संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यार्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

4. गैस्ट फैकल्टी/चयन प्रक्रिया :

   (क) संस्थान प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन गैस्ट फैकल्टी रख सकेंगे।

अथवा

Scanned with CamScanner

(ख) जिलास्तरीय समिति के माध्यम से :

I. प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा।

II. शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार–संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी।

II. चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के विरूद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार, कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा।

5. गैस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें :

विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान :

पद (अध्यापक/प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
ग्रेड–III	1 से 8	300/–	21000/–
ग्रेड–II	9 से 10	350/–	25000/–
ग्रेड–I	11 से 12	400/–	30000/–
अनुदेशक	–	300/–	21000/–
प्रयोगशाला सहायक	–	300/–	21000/–

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक कॉलेज :

पद	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
सहायक आचार्य	800/–	45000/–
सह आचार्य	1000/–	52000/–
आचार्य	1200/–	60000/–

6. गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ–पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

Scanned with CamScanner

7. गैस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

8. रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

9. चूंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए ~~इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु संख्या 5 में~~ वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे।

(डॉ. पृथ्वी)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर ।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर ।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी ।
13. समस्त कोषाधिकारी ।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - 04 /2021)

Room No. 5128, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.) - 302005
Phone No. 0141-2227921 www.finance.rajasthan.gov.in E-mail - jsfgt@rajasthan.gov.in
Order-circulars w.e.f. 1.2.2021

Scanned with CamScanner

(5)

शपथ–पथ

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी..पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.......... ....विभाग..(संस्थान का नाम) में दिनांक...............को गेस्ट फेकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूं/दे रही हूं।

1. यह है कि मैंने.............................विभाग/संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक..... ....के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूं।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक................को अच्छे से पढ़/समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा/करूंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा/करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूं/करती हूं तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

Room No. 5128, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.) - 302005
Phone No. 0141-2227921 www.finance.rajasthan.gov.in E-mail - jsfgt@rajasthan.gov.in

Scanned with CamScanner

7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।

8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूं कि जिस रिक्त पद के विरूद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फेकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।

9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।

10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।

12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।

13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।

14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होउंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता

Room No. 5128, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.) - 302005
Phone No. 0141-2227921 www.finance.rajasthan.gov.in E-mail - jsfgt@rajasthan.gov.in
Order-circulars w.e.f.1.2.2021

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक– एफ 3(ए)( )शिक्षा/सीटीएडी/2020–21 /12407-410 दिनांक :– 6-4-21

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा संख्या 54.0.04 (2021–22) (24/02/2021) द्वारा विभाग द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानो–आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए "विद्या संबल योजना" प्रारम्भ की गयी हैं। उक्त योजना के संबंध में राज्य सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग द्वारा दिनांक 30.03.2021 को दिशा–निर्देश एवं प्रक्रिया हेतु परिपत्र जारी किया गया हैं। (प्रतिलिपि संलग्न)

"विद्या संबल योजना" के तहत विभागीय आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक व प्रयोगशाला सहायक के रिक्त पदो पर गैस्ट फैकल्टी लगाये जाने व छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

1. आवासीय विद्यालयों में गैस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध ही ली जा सकेगी।
2. अनुसूचित क्षेत्र में उक्त योजना के संचालन हेतु नॉडल अधिकारी संबंधित जिला के उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग होगें।
3. सहरिया क्षेत्र में उक्त योजना के संचालन हेतु नॉडल अधिकारी संबंधित जिला के अतिरिक्त कलक्टर एवं पदेन परियोजना अधिकारी सहरिया विकास होगें।
4. झालावाड़, दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, जयपुर जिले में नॉडल अधिकारी संबंधित विभागीय विद्यालय के संस्था प्रधान ही होंगे।
5. संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यार्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रुप में लगाया जा सकेगा।
6. गैस्ट फैकल्टी/चयन प्रक्रिया :– संस्थान प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिकों/निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन गैस्ट फैकल्टी रख सकेंगे। उक्त नॉडल अधिकारी निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी।
7. विद्यालय गैस्ट फैकल्टी हेतु मानदेय की दरें :

पद (अध्यापक/प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
ग्रेड–III	1 से 8	300/–	21000/–
ग्रेड–II	9 से 10	350/–	25000/–
ग्रेड–I	11 से 12	400/–	30000/–
अनुदेशक	–	300/–	21000/–
प्रयोगशाला सहायक	–	300/–	21000/–

8. गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तो का समावेश करते हुए संलग्न प्रारुप अनुसार शपथ–पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जावे।
9. गैस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावे।
10. रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जावे।

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय) IAS
आयुक्त

क्रमांक– एफ 3(ए)( )शिक्षा/सीटीएडी/2020–21/12407-410 दिनांक :– 6-4-21

प्रतिलिपि:– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं परियोजना अधिकारी, सहरिया विकास परियोजना, शाहबाद (बांरा)।
2. उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर/बांसवाड़ा/डूंगरपुर/प्रतापगढ़/आबूरोड़।
3. प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक, जनजाति आवासीय विद्यालय दौसा, झालरापाटन, सागवाड़ा, सलूम्बर, प्रतापगढ़, हरेंगजी का खेड़ा, कोयला, कवाई, परानियां, खुशियारा, रामगढ़, शाहबाद कन्या व किशनगंज।
4. प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक, ईएमआरएस, समस्त।

आयुक्त

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर (राज.)

letter 2022 (N)

क्रमांक– एफ 3(ए)( )शिक्षा / सीटीएडी / 2022–23 / 17753-66 दिनांक : 07-06-22

प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक
राजकीय जनजाति आवासीय विद्यालय
झालावाड़ / दौसा,
ईएमआरएस मल्लाणा / पाटन / बरनाला / रानोली / निवाई / बिहारीपुरा।

उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर / डूंगरपुर / बांसवाडा / प्रतापगढ़ / आबुरोड़ (सिरोही)।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं परियोजना अधिकारी,
सहरिया विकास परियोजना,
शाहबाद (बारां)।

विषय :– राज्य सरकार की विद्या संबल योजना के अनुसार रिक्त पदों के विरुद्ध पात्र अभ्यार्थियों की वरियता सूची तैयार कर भेजने बाबत।

प्रसंग :– विभागीय आदेश 12407–410 दिनांक 06.04.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश के तहत राज्य सरकार की विद्या संबल योजना के दिशा निर्देशो के अनुसार **शैक्षणिक सत्र 2022–23** में विभागीय आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक व प्रयोगशाला सहायक के रिक्त पदो पर कार्मिक लगाये जाने हेतु निर्धारित योग्यताधारी अभ्यार्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित कर अभ्यार्थियों की चयनित सूची अविलम्ब इस कार्यालय को स्वीकृति हेतु प्रेषित करावें ताकि आगामी शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ से ही आपके अधीन संचालित विभागीय आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य सुचारु रुप से संचालन हो सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(गोविन्द सिंह राणावत)
अति. आयुक्त (द्वितीय)

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर (राज.)

letter 2022 (N)

क्रमांक– एफ 3(ए)( )शिक्षा / सीटीएडी / 2022–23 / 17767 दिनांक : 07-06-22

अति. आयुक्त (चतुर्थ)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
जोधपुर।

विषय :– राज्य सरकार की विद्या संबल योजना के अनुसार रिक्त पदों के विरुद्ध पात्र अभ्यार्थियों की वरियता सूची तैयार कर भेजने बाबत।

प्रसंग :– विभागीय आदेश 12407–410 दिनांक 06.04.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश के तहत जोधपुर मुख्यालय पर नव संचालित आवासीय विद्यालय में स्वीकृत विभिन्न शैक्षणिक पदों पर नियमित शिक्षा विभागीय कार्मिको की नियुक्ति तक राज्य सरकार की विद्या संबल योजना के दिशा निर्देशो के अनुसार **शैक्षणिक सत्र 2022–23** में कार्मिक लगाये जाने हेतु निर्धारित योग्यताधारी अभ्यार्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित कर अभ्यार्थियों की चयनित सूची अविलम्ब इस कार्यालय को स्वीकृति हेतु प्रेषित करावें ताकि आगामी शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ से ही उक्त विद्यालय का शिक्षण कार्य सुचारु रुप से संचालन हो सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(गोविन्द सिंह राणावत)
अति. आयुक्त (द्वितीय)

Scanned with CamScanner

विद्या संबल योजना (सत्र–2022–23) आवेदन पत्र का प्रारूप

EMRS MALIAHIA

आवेदित विषय.....................

अभ्यर्थी का हस्ताक्षरयुक्त फोटो

1. आवेदक का नाम...
2. पद (सेवानिवृत होने पर)...
3. पिता का नाम...
4. माता का नाम...
5. जन्म दिनांक...
6. मोबाईल न. .... वाट्सएप न. ....
7. स्थायी पता ....
8. ई–मेलआईडी...
9. शैक्षणिक योग्यता (निजी अभ्यर्थियों हेतु) का विवरण–

क्र. सं.	कक्षा	बोर्ड / विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
i	10 वीं						
ii	12 वीं						
iii	स्नातक						
iv	अधिस्नातक						
v	एम. फिल						
vi	पीएच.डी.						
vii	जेआरएफ सहित नेट						
viii	नेट						
ix	स्लेट या सैट						

सेवानिवृत शैक्षणिक अधिकारी आवेदन पत्र के साथ अपने पी.पी.ओ.एवं निजी आवास के पूर्ण पते की प्रति आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें।

उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित अंकतालिकाओं की प्रति एवं प्रमाणपत्र संलग्न करें।

10. शोध प्रकाशन / शोधपरान्त अनुभव / पुरस्कार आदि का विवरण

i . शोध प्रकाशन का विवरण (सहकर्मी द्वारा समीक्षित या यूजीसी द्वारा सूचीबद्व जर्नल में प्रकाशित शोध पत्र ही मान्य होगें) –लेखक / लेखकों का नाम, शोध पत्र का टाईटल, जर्नल का विवरण मय प्रकाशन तिथि की सूची एवं शोध पत्रों की प्रतिलिपि संलग्न करें।

ii . शिक्षण / पोस्टडॉक्टरल अनुभव का विवरण मय प्रमाण

iii . पुरस्कारों का विवरण–

अ. अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त किये गये पुरस्कारों का विवरण मय प्रमाण

व. राज्य स्तरीय स्तर पर प्राप्त किये गये पुरस्कारों का विवरण मय प्रमाण

आवेदक के हस्ताक्षर

शपथ

मैं शपथपूर्वक बयान करता /करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित सभी सूचनाए मेरी जानकारी में सही एवं सत्य हैं यदि इन सूचनाओं में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा मिथ्या कथन पाया जाता है तो मैं स्वयं इसके लिए उत्तरदायी हूँ। विज्ञप्ति में वर्णित परिपत्र की समस्त शर्तो का मेरे द्वारा अध्ययन कर लिया गया है एवं मैं उक्त सभी शर्तो की पालना करने का वचन देता / देती हूँ।

शपथ गृहिता के हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner